तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

14/11/2025

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 2/12/2025 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

2/12/25

पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। वास्ते पेश [illegible] बहस दिनांक 12/12/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

12/12/25

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 16/12/25 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

16/12/25

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 18/12/25 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

18/12/25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० [illegible] हीरालाल को पेश किया गया [illegible] [illegible] [illegible] वादी [illegible] स्वीकार किया जाता है [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया गया [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] हो।

18/12/25

उपखण्ड अधिकारी

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायाल उपखण्ड अधिकारीबांदीकुई मुकाम–बांदीकुई

जज इजलास–रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारीबांदीकुई

उनवान– रामकिशोर बनाम तहसीलदार वगै

दावा दुरूस्ती उदघोषणा

मुकदमा नम्बर : 103/2024

आदेश है कि वादी वाद उद्घोषणा, एवं दुरूस्ती का स्वीकार किया जाकर ग्राम मुकरपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा के खाता सं. नया 82 पुराना 77 के खसरा नम्बर 201 रकबा 0.04 हैक्टे., खसरा नम्बर 202 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नम्बर 209 रकबा 0.19 हैक्टे., खसरा नम्बर 210 रकबा 0.18 हैक्टे., खसरा नम्बर 211 रकबा 0.25 हैक्टे., खसरा नम्बर 212 रकबा 0.20 हैक्टे., खसरा नम्बर 213 रकबा 0.03 हैक्टे,, खसरा नम्बर 214 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नम्बर 215 रकबा 0.17 हैक्टे., खसरा नम्बर 216 रकबा 0.18 हैक्टे., खसरा नम्बर 217 रकबा 0.17 हैक्टे., खसरा नम्बर 218 रकबा 0.18 हैक्टे,, खसरा नम्बर 308 रकबा 0.11 हैक्टे., खसरा नम्बर 309 रकबा 0.12 हैक्टे., खसरा नम्बर 310 रकबा 0.12 हैक्टे., खसरा नम्बर 311 रकबा 0.12 हैक्टे., खसरा नम्बर 313 रकबा 0.01 हैक्टे., खसरा नं. 314 रकबा 0.42 हैक्टे., खसरा नं. 315 रकबा 0.03 हैक्टे., खसरा नं. 316 रकबा 0.12 हैक्टे., खसरा नं. 317 रकबा 0.10 हैक्टे, खसरा नं. 318 रकबा 0.10 हैक्टे., खसरा नं. 319 रकबा 0.10 हैक्टे., खसरा नं. 320 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नं. 321 रकबा 0.08 हैक्टे., खसरा नं. 322 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नं. 323 रकबा 0.03 हैक्टे कुल किता 27 कुल रकबा 3013 हैक्टेयर स्थित है एवं खाता सं. नया 83 पुराना 78 के आराजी खसरा नं. 312 रकबा 0.05 हैक्टे., वाके रामा मुकरपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में तहसीलदार बांदीकुई जांच कर छोट्क्या पुत्र दुण्डा एवं रामकिशोर पुत्र दुण्डाराम एक ही व्यक्ति हो तो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में छोट्क्या पुत्र दुण्डा को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर रामकिशोर पुत्र टुण्डाराम दर्ज करे, तहसीलदार बांदीकुई उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। पर्चा डिकी जारी हो।

दफ्तर हो। निज...............मुबलिग..बाबत्...
..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 12 सन् 2025 को जारी की गई।

18/12/25

(रामसिंह राजावत)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्आम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

दस्तखत.......................
ओहदा.......................
18/12/25

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा।

मुकदमा नम्बर 103/2024
दायर दिनांक 18.07.2024
निर्णय दिनांक 18.12.2025

उनवान

1. रामकिशोर पुत्र टुण्डाराम जाति बैरवा निवासी मुकरपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।(फौत) के बजाय
1/1. श्रीमती किस्तुरी देवी पत्नी रामकिशोर
1/2. विजय कुमार पुत्र रामकिशोर
1/3. विनित कुमार पुत्र रामकिशोर
1/4. ममता देवी पुत्री रामकिशोर
1/5. अंकिता पुत्री रामकिशोर

वादी/प्रार्थी ....।

बनाम

1. तहसीलदार बसवा, जरिये लैण्डहोल्डर, बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

प्रतिवादी/अप्रार्थी...................।

उपस्थित वादी अधिवक्ता श्री राजेश कुमार एडवोकेट

<u>दावा उदघोषणा, एवं दुरूस्ती</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक 18.12.2025

वादी वाद दावा उद्घोषणा एवं दुरूस्ती का जर्ये वकील न्यायालय हाजा में पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः— ग्राम मुकरपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा के खाता सं. नया 82 पुराना 77 के खसरा नम्बर 201 रकबा 0.04 हैक्टे., खसरा नम्बर 202 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नम्बर 209 रकबा 0.19 हैक्टे., खसरा नम्बर 210 रकबा 0.18 हैक्टे., खसरा नम्बर 211 रकबा 0.25 हैक्टे., खसरा नम्बर 212 रकबा 0.20 हैक्टे., खसरा नम्बर 213 रकबा 0.03 हैक्टे., खसरा नम्बर 214 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नम्बर 215 रकबा 0.17 हैक्टे., खसरा नम्बर 216 रकबा 0.18 हैक्टे., खसरा नम्बर 217 रकबा 0.17 हैक्टे., खसरा नम्बर 218 रकबा 0.18 हैक्टे., खसरा नम्बर 308 रकबा 0.11 हैक्टे., खसरा नम्बर 309 रकबा 0.12 हैक्टे., खसरा नम्बर 310 रकबा 0.12 हैक्टे., खसरा नम्बर 311 रकबा 0.12 हैक्टे., खसरा नम्बर 313 रकबा 0.01 हैक्टे., खसरा नं. 314 रकबा 0.42 हैक्टे., खसरा नं. 315 रकबा 0.03 हैक्टे., खसरा नं. 316 रकबा 0.12 हैक्टे, खसरा नं. 317 रकबा 0.10 हैक्टे, खसरा नं. 318 रकबा 0.10 हैक्टे., खसरा नं. 319 रकबा 0.10 हैक्टे. रकबा 0.08 323 स्कबा खसरा नं. 320 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नं. 321 हैक्टे., खसरा नं. 322 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नं. 0.03 हैक्टे कुल किता 27 कुल रकबा 3013 हैक्टेयर स्थित है एवं खाता सं. नया 83 पुराना 78 के आराजी खसरा नं. 312 रकबा 0.05 हैक्टे., वाके रामा मुकरपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित भूमि मुतदाविया में दर्ज खातेदारी छोट्क्या पुत्र टुण्डा जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 के खाता सं. नया 83 एवं 83 में दर्ज है। जबकि वादी का वास्तविक व सही नाम सभी दस्तावेजात आधार कार्ड, पेंशन

Scanned with OKEN Scanner

डायरी, राशनकार्ड, पहचान पत्र आदि दस्तावेजातो में रामकिशोर पुत्र टुण्डाराम दर्ज है। जबकि जब वादी के पिता टुण्डाराम की मृत्यु हुई तब नामान्तकरण में वादी का बोलता नाम छोट्क्या पुत्र टुण्डा दर्ज हो गया जबकि वादी का सभी दस्तावेजातो में नाम रामकिशोर पुत्र दुण्डाराम अंकित है। इसलिए राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम छोट्क्या पुत्र टुण्डा हजफ किया जाकर वादी का सही व वास्तविक नाम दस्जावेजो के आधार से रामकिशोर पुत्र टुण्डाराम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। वादी ने दिनांक 06.07.2023 को प्रतिवादी से उक्त भूमि मुतदाविया में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपना नाम दस्तावेजो के आधार पर सही करने की कहा तो प्रतिवादी सं. 01 साफ इन्कार हो गया और कहा कि न्यायालय से आदेश लेकर आओं तभी तुम्हारा नाम जमाबन्दी में सही किया जा सकेगा। इसलिए वादी को यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि मुतदाविया मे वादी का सही नाम दुरूस्त करने की इन्कारी से अन्दर हदूद न्यायालय हाजा उत्पन्न होने से तथा सकूनत भूमि मुतदाविया अन्दर हदूद न्यायालय हाजा के। वाके होने से दावा हाजा के श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को हासिल है। दावा अन्दर मियाद पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद, वादी बरखिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे ग्राम मुकरपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा के खाता सं. नया 82 पुराना 77 के खसरा नम्बर 201 रकबा 0.04 हैक्टे., खसरा नम्बर 202 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नम्बर 209 रकबा 0.19 हैक्टे., खसरा नम्बर 210 रकबा 0.18 हैक्टे., खसरा नम्बर 211 रकबा 0.25 हैक्टे., खसरा नम्बर 212 रकबा 0.20 हैक्टे., खसरा नम्बर 213 रकबा 0.03 हैक्टे,, खसरा नम्बर 214 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नम्बर 215 रकबा 0.17 हैक्टे., खसरा नम्बर 216 रकबा 0.18 हैक्टे., खसरा नम्बर 217 रकबा 0.17 हैक्टे., खसरा नम्बर 218 रकबा 0.18 हैक्टे,, खसरा नम्बर 308 रकबा 0.11 हैक्टे., खसरा नम्बर 309 रकबा 0.12 हैक्टे., खसरा नम्बर 310 रकबा 0.12 हैक्टे., खसरा नम्बर 311 रकबा 0.12 हैक्टे., खसरा नम्बर 313 रकबा 0.01 हैक्टे., खसरा नं. 314 रकबा 0.42 हैक्टे., खसरा नं. 315 रकबा 0.03 हैक्टे., खसरा नं. 316 रकबा 0.12 हैक्टे., खसरा नं. 317 रकबा 0.10 हैक्टे, खसरा नं. 318 रकबा 0.10 हैक्टे., खसरा नं. 319 रकबा 0.10 हैक्टे., खसरा नं. 320 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नं. 321 रकबा 0.08 हैक्टे., खसरा नं. 322 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नं. 323 रकबा 0.03 हैक्टे कुल किता 27 कुल रकबा 3013 हैक्टेयर स्थित है एवं खाता सं. नया 83 पुराना 78 के आराजी खसरा नं. 312 रकबा 0.05 हैक्टे., वाके रामा मुकरपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है में वादी का नाम छोट्क्या पुत्र दुण्डा हजफ किया जाकर वादी का सही नाम दस्तावेजो के आधार से सही व वास्तविक नाम रामकिशोर पुत्र दुण्डाराम की उद्घोषणा व दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रकरण में वादी फौत होने पर उनके वारिसान द्वारा प्रार्थना कायम मुकाम पेश करने पर दिनांक 26.03.2025 कायम मुकाम स्वीकार किये गये प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया गया। प्रकरण दिनांक 03.6.2025 को अदम पैरवी में खारिज किया गया प्रकरण बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किंया जाकर पुन नम्बर पर लिया गया। प्रकरण साक्ष्य /बहस पर नियत किया गया। प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई द्वारा उनके पत्रांक 699 दिनांक 21.02.2025 के द्वारा निम्न प्रकार रिपोर्ट पेश की गईः–खाता संख्या 82 क्र.स. 8 पर छोटक्या पुत्र टुण्डा हिस्सा 3/76 खाता संख्या 83 में क्रम संख्या 6 पर छोटक्या टुण्डा हि. 1/24 जाति बैरवा दर्ज है। मौतविरानो द्वारा छोटक्या एवं रामकिशोर दोनो नाम एक ही व्यक्ति के होना

Scanned with OKEN Scanner

बताया छोट्क्या पुत्र टुण्डा के स्थान पर वादी के शपथ पत्र एवं दस्तावेज मुताबिक नाम शुद्ध किया जाना अपेक्षित है।

प्रकरण में बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान वाद पत्र को दोहराते हुये तहसीलदार रिपोर्ट एवं दस्तावेजात के आधार पर नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा बहस वादी अधिवक्ता पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी का शपथ पत्र एवं पहचान पत्र राशन कार्ड, आधार कार्ड पेशन आर्डर में वादी का नाम रामकिशोर दर्ज है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार द्वारा रामकिशोर एवं छोट्क्या दोनो एक ही व्यक्ति के नाम होना व्यक्त किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में छोट्क्या पुत्र टुण्डा को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी का वास्तवित नाम रामकिशोर पुत्र टुण्डा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादी वाद उद्घोषणा, एवं दुरूस्ती का स्वीकार किया जाकर ग्राम मुकरपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा के खाता सं. नया 82 पुराना 77 के खसरा नम्बर 201 रकबा 0.04 हैक्टे., खसरा नम्बर 202 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नम्बर 209 रकबा 0.19 हैक्टे., खसरा नम्बर 210 रकबा 0.18 हैक्टे., खसरा नम्बर 211 रकबा 0.25 हैक्टे., खसरा नम्बर 212 रकबा 0.20 हैक्टे., खसरा नम्बर 213 रकबा 0.03 हैक्टे,, खसरा नम्बर 214 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नम्बर 215 रकबा 0.17 हैक्टे., खसरा नम्बर 216 रकबा 0.18 हैक्टे., खसरा नम्बर 217 रकबा 0.17 हैक्टे., खसरा नम्बर 218 रकबा 0.18 हैक्टे,, खसरा नम्बर 308 रकबा 0.11 हैक्टे., खसरा नम्बर 309 रकबा 0.12 हैक्टे., खसरा नम्बर 310 रकबा 0.12 हैक्टे., खसरा नम्बर 311 रकबा 0.12 हैक्टे., खसरा नम्बर 313 रकबा 0.01 हैक्टे., खसरा नं. 314 रकबा 0.42 हैक्टे., खसरा नं. 315 रकबा 0.03 हैक्टे., खसरा नं. 316 रकबा 0.12 हैक्टे., खसरा नं. 317 रकबा 0.10 हैक्टे, खसरा नं. 318 रकबा 0.10 हैक्टे., खसरा नं. 319 रकबा 0.10 हैक्टे., खसरा नं. 320 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नं. 321 रकबा 0.08 हैक्टे., खसरा नं. 322 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नं. 323 रकबा 0.03 हैक्टे कुल किता 27 कुल रकबा 3013 हैक्टेयर स्थित है एवं खाता सं. नया 83 पुराना 78 के आराजी खसरा नं. 312 रकबा 0.05 हैक्टे., वाके रामा मुकरपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में तहसीलदार बांदीकुई जांच कर छोट्क्या पुत्र दुण्डा एवं रामकिशोर पुत्र दुण्डाराम एक ही व्यक्ति हो तो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में छोट्क्या पुत्र दुण्डा को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर रामकिशोर पुत्र टुण्डाराम दर्ज करे, तहसीलदार बांदीकुई उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। पर्चा डिकी जारी हो। प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 18.12.2025 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

18/12/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner